सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 19.10.2025

जनपद आजमगढ़

01. थाना- सिधारी, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 17.10.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना, गर्भवती होने पर शादी से इनकार करना और गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 465/2025 धारा 69/351(3) बी0एन0एस0 बनाम अभियुक्तों 1. अविनाश पुत्र कैलाश 2. बुन्नी देवी पत्नी कैलाश निवासी बरामदपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 18.10.2025 को व0उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अविनाश राजभर पुत्र कैलाश राजभर निवासी ग्राम बरामदपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब- 21 वर्ष को उसके घर ग्राम बरामदपुर से समय 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01. अविनाश राजभर पुत्र कैलाश राजभर निवासी ग्राम बरामदपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब- 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 465/2025 धारा 69/351(3) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी थाना सिधारी आजमगढ़।
2. मुख्य आरक्षी कृष्ण मुरारी थाना सिधारी आजमगढ़।
3. आरक्षी संजय कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़।

02.थाना-मेंहनगर, साइबर फ्राड के ₹15000 आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.10.2025 को आवेदक श्री दयाशंकर यादव ग्राम दौलतपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के साथ 20,000 रुपये का साइबर फ्राड हो गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा NCRP पर शिकायत पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 16.10.2025 को आवेदक के खाते में फ्राड हुए धनराशि में से 15,000 रूपये वापस करा दिया गया है।

रुपया वापसी का विवरणः-

आवेदक श्री दयाशंकर यादव ग्राम दौलतपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के द्वारा NCRP पर शिकायत दर्ज किया गया। जिस पर साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित खाते को फ्रिज कराया गया। तत्पश्चात् प्रभारी निरीक्षक मेंहनगर के निर्देश पर क0आ0 श्याम चन्द्र यादव व साइबर क्राइम टीम द्वारा उपरोक्त फ्राड का पैसा आवश्यक कार्यवाही करते हुए फ्राड हुये आवेदक के 20,000 रु0 में से 15,000 रुपये नियमानुसार आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

➡ ☐ **आवेदक द्वारा पैसा पाकर पुलिस को धन्यवाद दिया गया।**

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह,थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
2. SIUT तुषार त्रिपाठी,थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
3. क0आ0 श्याम चन्द्र यादव ,थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
4. का0 राजन गोंड,थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

03.थाना – सिधारी, साइबर फ्रॉड के कुल ₹90,000/- आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

आवेदिका निरमा देवी पत्नी किशोर निवासी मतौलीपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ एक गृहणी हैं। आवेदिका को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को बाल विकास कल्याण अधिकारी, लखनऊ बताते हुए फोन किया गया। उस समय आवेदिका गर्भवती थीं। उक्त व्यक्ति ने राशन व अन्य सरकारी लाभ दिलाने के बहाने बातों में उलझाकर तथा आशा बहु को कॉल कॉन्फ्रेंस में जोड़कर लगभग एक घंटे तक बातचीत की। इस दौरान धोखेबाज ने आवेदिका का विश्वास जीतकर उनसे व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ली और बच्चों की संख्या के आधार पर ₹10,000/- की सहायता राशि दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर आए OTP को प्राप्त कर आवेदिका के खाते से कुल ₹1,04,198/- की साइबर ठगी कर ली। जब आवेदिका को धोखाधड़ी की जानकारी हुई, तो उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत संख्या – 33108250105389 दर्ज कराई।

बरामदगी का विवरण-

प्रकरण की जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही के पश्चात आवेदिका का ₹90,000/- उनके बैंक खाते में वापस कराया गया।

कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री विधनेश वर्मा
02. उ0नि0 श्री नीतीश सिंह
03. हे0का0 शैलेश कुमार

04. का0 महेश कुमार

05. म0का0 रीना यादव

04. थाना पवई शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण:-

दिनांक 18.10.2025 को वादिनी थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मंजीत पुत्र सुरजीत, निवासी बिरईपुर भटपूरा, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर द्वारा शादी का झाँसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया व बाद में विवाह से इंकार किया जा रहा है, तथा विवाह की बात करने पर अभियुक्त के मामा राजेश पुत्र दूधनाथ द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 292/2025, धारा 69/352/351(3) बीएनएस, थाना पवई पर पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 संतोष कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण-

आज दिनांक 18.10.2025 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त मंजीत पुत्र सुरजीत निवासी बिरईपुर भटपूरा, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र लगभग 22 वर्ष को सरायपुल तिराहा से समय करीब 12:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यावाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मंजीत पुत्र श्री सुरजीत, निवासी: बिरईपुर भटपूरा, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र: लगभग 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0: 292/2025, धारा: 69/352/351(3) बीएनएस, थाना: पवई, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. उ0नि0 संतोष कुमार यादव,थाना: पवई, जनपद आजमगढ़

02. का0 विकास यादव, थाना: पवई, जनपद आजमगढ़

03. पीआरडी केशव, थाना: पवई, जनपद आजमगढ़

05.थाना कोतवाली, 02 कुंटल, 90 किलोग्राम कीमत लगभग 03 लाख ज्वलनशील/ विस्फोटक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी एवं घटना का विवरण –

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 17.10.2025 को समय 21.20 बजे फरासटोला स्थित विशाल गुप्ता की दुकान पर छापा मारकर अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी फरासटोला एलवल थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लगभग 290 किलोग्राम ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण–

01. विशाल गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता, निवासी – फरासटोला एलवल, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र – 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कुल 290 किलोग्राम ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ।(कीमत लगभग 03 लाख रूपये)

पंजीकृत अभियोग –

01. मु0अ0सं0 538/2025, धारा – 9(बी)/1(बी) विस्फोटक अधिनियम, 287/288 भारतीय दंड संहिता (बी.एन.एस.), थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, नि0अ0 रफी आलम, व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह, उ0नि0 सूरज चौधरी (चौकी प्रभारी रोडवेज), का0 विनय प्रसाद, का0 सुमित कुमार, का0 अभिषेक सरोज व का0 विवेक शाह थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

06.➡थाना बरदह पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लूट में वांछित 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त आनन्द घायल/गिरफ्तार-

➡थाना बरदह ***क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हदिसादयालुपर नहर पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के दाहिने पैर मे लगी गोली।***

➡घायल **इनामिया अभियुक्त आनन्द पुत्र राम सकल ग्राम चिटको थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर को आज शाम करीब 20:10 बजे पुलिस हिरासत में लेकर, गम्भीर हालत में ईलाज हेतु सीएचसी बरदह ले जाया गया जहाँ डाक्टरों द्वारा जिला अस्पताल आजमगढ** रेफर किया गया।

➡अभियुक्त आनन्द उपरोक्त के कब्जे से ***01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल हीरो स्पेलेण्डर काले रंग की, 6300/- रूपये व डकैती की एक मोबाईल बरामद।**

➡***दिनांक 10.10.2025 को वादी पतिराम पुत्र नन्दलाल निवासी ग्राम सकरामऊ थाना बरदह ने सूचना दी थी कि उसका पुत्र दीपक, जो गौरा बादशाहपुर में ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है, केंद्र से लगभग ₹1,50,000 लेकर घर लौटते समय दुर्गापुर पुलिया के पास दो बाइकों पर सवार चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसका बैग लूट लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 373/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात*** के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर,निर्देश दिया गया।

➡गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी के माध्यम से अनावरण व गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास करते हुए *दिनांक 17.10.25 को थाना बरदह पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.आशुतोष पुत्र संजीव, निवासी सिधौना मानिकपुर, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़, 2. गौरव पुत्र हरिलाल, निवासी सकटही, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर, 3. विपिन पुत्र राजपत , निवासी सकरामऊ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को रामपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया था।*

➞***गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में अभियुक्त.**
1. संदीप पुत्र रामजीत ग्राम चिटको थाना चन्दवक, जौनपुर
2. शिवम उर्फ पग्गू पुत्र मगरू ग्राम मडही थाना चन्दवक , जौनपुर
3. आनन्द पुत्र राम सकल ग्राम चिटको थाना चन्दवक, जनपद का नाम प्रकाश में आया* तथा मुकदमा उपरोक्त को धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी.एन.एस. में तरमीम किया गया था।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी व पुलिस उपमाहनिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के निर्देशन में वाँछित/ईनामिया अभियुक्तगण गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे कि इसी क्रम में आज दिनांक 17.10.2025 को थानाध्यक्ष बरदह राजीव मय हमराह को सूचना मिली की एक व्यक्ति जो थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 306/24 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी.एन.एस. मे वाँछित है जो राजेपुर हदिशा दयाल नहर से असवनिया की तरफ आने वाला है, आनन्द बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस बल ने ***हदिसादयालपुर नहर पुलिया से कुछ दूरी पर*** अभियुक्त को घेर लिया, अभियुक्त द्वारा अपने आप को घिरता देख, जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। जिसे पुलिस द्वारा कई बार आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी गई। लेकिन जब वह नहीं माना तो आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई, मुठभेड़ में इनामिया अभियुक्त आनन्द पुत्र राम सकल ग्राम चिटको थाना चन्दवक, जनपद के *दाहिने पैर मे गोली* लगी है, जिसे *समय लगभग 20.07 बजे* पुलिस हिरासत में लेकर ईलाज हेतु सीएचसी बरदह भेजवाया गया, जहाँ डाक्टर द्वारा उसे जिला अस्पताल आजमगढ रेफर कर दिया गया ।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं और मेरे अन्य साथी मिलकर दिनांक 17.10.25 की रात्रि में ग्राम दुर्गापुर पुलिया के पास जनसेवा केन्द्र चलाने वाले से रुपया सहित उसका बैग व मोबाइल लूट लिये थे तथा देवगांव में एक मन्दिर से चोरी किये थे। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

➞***घायल/गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द कुमार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-***

क्रसं	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
01.	306/2025	310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस	बरदह	आजमगढ़
2.	316/25	305/317(2) BNS	देवगांव	आजमगढ़

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आनन्द पुत्र राम सकल ग्राम चिटको थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल हीरो स्पेलेण्डर काले रंग की,
3. 6300/- रूपये
4. एक अदद मोबाईल डकैती

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष बरदह श्री राजीव कुमार , मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ ।

➡थाना कोतवाली पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में महिला के साथ ठगी/चोरी/लूट के अभियोग से संबंधित अन्तर्जनपदीय 25,000 रूपयें के इनामिया अपराधी के दाहिने पैर में लगी गोली घायल/गिरफ्तार ।

➡दिनांक- 11.10.2025 को सिविल लाईन आजमगढ़ आईसीआईसीआई बैंक के सामनें एक महिला से चेन व कंगन को धोखाधड़ी से चोरी की घटना में संलिप्त 01 अन्तर्जनपदीय 25 हजार रूपयें का इनामिया अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार।

➡दिनांक- 11.10.2025 कोरेलवे ओवरब्रिज से नीचे अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर में एक महिला के साथ ठगी करने वाला मुठभेड़ में 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार।

➡दिनांक- 17.10.2025 कोमनकापुर गोन्डा से एक महिला के साथ ठगी करके अंगुठी व एक रिंग चोरी करने वाला मुठभेड़ में 01 अभियुक्त मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार।

➡ मुठभेड़ में**घायल इनामिया अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र पुत्र जोखन ग्राम सहजूपार पोस्ट जैतपुर थाना खजनी सहजनवा जिला गोरखपुर उम्र 40 वर्ष** को घायल अवस्था में ईलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया।

➡घायल इनामिया अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र उपरोक्त के कब्जे से **एक अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद मिस जिन्दा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 बुलेट मोटरसाइकिल, ठगी व चोरी की पीली धातु की 03 चेन, 02 अंगुठी व 01 रिंग पीली धातु, ठगी का व चोरी के माल का बिक्री धन रूपया 39000/- नकद** बरामद।

➡घायल इनामिया अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त के विरूद्धजनपदगोरखपुर, वाराणसी, संत कबीरनगर, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर व जनपद आजमगढ़ में लूट, चोरी व ठगी जैसे संगीन अपराधों में कुल 21 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य जनपदों से जानकारी की जा रही है।

<u>पुलिस मुठभेड़ का विवरण-</u>

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन महोदय वाराणसी व श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र महोदयआजमगढ़ के निर्देशन में अनावरण व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे कि इसी क्रम में आज दिनांक- 17/18.10.2025 को देर रात्रि में यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि एक अपराधी एक मोटर साइकिल से जीयनपुर से वाराणसी की तरफ जाने वाला है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके पास अवैध देशी तमंचा है।

उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा बवाली मोड़ से **करतालपुर रोड़ पर कुन्दीगढ़ के पास** पहुँचकर अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश द्वारा अपने आप को घिरता देख, जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया, पुलिस टीम द्वारा कई बार आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी गयी, लेकिन अपराधी फायरिंग करने लगा, आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में इनामिया अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त के **दाहिने पैरमे एक गोली** लगी है, जिसे **<u>समय करीब 03.30 बजे</u>** पुलिस हिरासत में लेकर ईलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

<u>घायल/गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु0अ0सं0 415/2018 धारा 406/411 भादवि थाना बाँसगाँव गोरखपुर

2.मु0अ0सं0 327/18 धारा 406 भादवि थाना गगहा गोरखपुर
3.मु0अ0सं0 480/23 धारा 406/420 भादवि थाना गगहा गोरखपुर
4.मु0अ0सं0 523/23 धारा 392,411,420,467,468,471 भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर
5.मु0अ0सं0 515/23 धारा 406/420 भादवि थाना रामगढ़ ताल गोरखपुर
6.मु0अ0सं0 279/24 धारा 303,317(2),318 बीएनएस थाना कैन्ट जनपद वाराणसी
7.मु0अ0सं0 298/24 धारा 109(1),317(2),317(5) बीएनएस व 3 /25 शस्त्र अधि. थाना कैंट जनपद वाराणसी
8.मु0अ0सं0 193/25 धारा 317(2),317(4),318(2) बीएनएस थाना घुघली जनपद महराजगंज
9.मु0अ0सं0 135/25 धारा 316(2),317(2),317(4) बीएनएस थाना कोठीभार महराजगंज
10.मु0अ0सं0 270/23 धारा 406/420 भादवि थाना श्यामदेउरवां महराजगंज
11.मु0अ0सं0 24/23 धारा 406 भादवि थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर
12.मु0अ0सं0 115/23 धारा 406,411 भादवि थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर
13.मु0अ0सं0 09/21 धारा 392/411 भादवि थाना कसया कुशीनगर
14.मु0अ0सं0 175/21 धारा 392 भादवि थाना सेवरही कुशीनगर
15.मु0अ0सं0 517/23 धारा 406,411,417,420 भादवि थाना धनघटा जनपद सन्तकबीर नगर
16.मु0अ0सं0 264/18 धारा 406,411,413,420 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर
17.मु0अ0सं0 354/18 धारा 406,411,413,420 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद सन्त कबीरनगर
18.मु0अ0सं0 340/18 धारा 406,411,413,420 भादवि थाना मेहदावल जनपद सन्त कबीर नगर
19.मु0अ0सं0 359/18 धारा 8 /20 एनडीपीएस एक्ट थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीर नगर
20.मु0अ0सं0 365/18 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीर नगर
21.मु0अ0सं0 518/25 धारा 318(4),303(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र पुत्र जोखन ग्राम सहजूपार पोस्ट जैतपुर थाना खजनी सहजनवा जिला गोरखपुर उम्र 40 वर्ष

बरामदगी मुकदमा/घटना से सम्बन्धित-

1. एक अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद मिस जिन्दा कारतूस .315 बोर
2. घटनाओं में प्रयुक्त 01 बुलेट मोटर साइकिल,
3. ठगी व चोरी की पीली धातु की तीन अदद चेन, दो अदद अंगुठी व 01 रिंग पीली धातु,
4. ठगी का व चोरी के माल का बिक्री धन रूपया 39000/- नकद,
5. एक अदद नोकिया मोबाइल फोन, अभियुक्त का आधार कार्ड,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली, आजमगढ़।
2. उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़
3. उ0नि0 यश सिंह पटेल मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़

4. का0 विनय प्रसाद,कां0 सुमित कुमार ,कां0 काशी कुमार , कां0 नीरज कुमार, हे0कां0 सर्वेश विक्रम ,आरक्षी राजन कुमार, कां0विवेक शाहू महिला आरक्षी निरजा सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़

जनपद-मऊ

01. चाकू मारने के मामले वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01चाकू बरामद ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 18.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर समय करीब 01:30 बजे सरायगनेश बरुहा बाहा की पुलिया पास से मु0अ0सं0 506/25 धारा 109 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शिवनाथ पुत्र केशव राजभर निवासी गोविन्दपुर टंगुनिया थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे स 01 अदद चाकू (खोलने बन्द करने वाली सब्जी व फल काटने वाली) बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.10.2025 को बाबत झगडा करने तथा छोटी चाकू से मार देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 506/25 धारा 109 बीएनएस बनाम शिवनाथ पुत्र केशव राजभर निवासी गोविन्दपुर टंगुनिया थाना घोसी के पंजीकृत कराया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. शिवनाथ पुत्र केशव राजभर निवासी गोविन्दपुर टंगुनिया थाना घोसी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग –

1. में मु0अ0सं0 506/25 धारा 109 बीएनएस

बरामदगी –

1. 01 अदद चाकू (फल व सब्जी काटने वाली खुलने व बन्द होने वाली)

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह
3. हे0का0 अश्वनी कुमार सिंह
4. का0 अखिलेश कुमार सिंह
5. का ऋषिकेश कुमार

02. मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरूद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 18.10.2025 को थाना

घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान अम्बेडकर तिराहा अमिला के पास से मु0अ0सं0 494/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी कल्लू पुत्र रामनरेश नाग निवासी सोहरिया तम्भौर खास थाना तम्भौर जनपद सीतापुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर चालान न्यायालय किया गया।

बाल अपचारी का विवरण –

1. कल्लू पुत्र रामनरेश नाग निवासी सोहरिया तम्भौर खास थाना तम्भौर जनपद सीतापुर।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 494/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 संजय कुमार उपाध्याय
3. का0 दयानन्द त्रिपाठी

03. मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अर्न्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरूद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अर्न्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 18.10.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कनियारीपुर चौराहा पर रोड़ के किनारे से मु0अ0सं0 301/2025 धारा 69,351(3), 352 बीएनएस वांछित अभियुक्त रोहिक यादव पुत्र उमाशंकर यादव निवासी खानपुर बुर्जुग थान घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण –

1. रोहिक यादव पुत्र उमाशंकर यादव निवासी खानपुर बुर्जुग थान घोसी जनपद।

पंजीकृत अभियोग –

2. मु0अ0सं0 301/2025 धारा 69,351(3), 352 बीएनएस

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विशाल पासवान थाना कोपागंज।
2. हे0का0 बृजेश गौड़ थाना कोपागंज।

जनपद-बलिया

1. थाना खेजुरी जनपद बलिया पुलिस द्वारा 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा अपराध के समूल उन्मूलन एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) बलिया श्री दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री रजनीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना खेजुरी पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.10.2025 को उ0नि0 राजकुमार भारद्वाज मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्ता जमुना देवी पत्नी राजू महतो निवासी भैंस मुन्दो उर्फ भैयागांव(मसमानो) थाना भंडरा जनपद लोहरदंगा (झारखण्ड) को 01 प्लास्टिक की जरिकेन में 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ छपरा टोला ईट भट्ठे के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 110/2025 धारा 60 आब0अधि0 थाना खेजुरी जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

जमुना देवी पत्नी राजू महतो निवासी भैंस मुन्दो उर्फ भैयागांव (मसमानो) थाना भंडरा जनपद लोहरदंगा (झारखण्ड)।

बरामदगी-

एक जरिकेन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब।

2. थाना बैरिया जनपद बलिया पुलिस द्वारा चोरी से सम्बंधित 02 नफर बाल अपचारीगण को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना बैरिया पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.10.2025 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के सम्बंध मे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसके आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 388/25 धारा 303(2) B.N.S बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। इसी क्रम आज दिनांक 18.10.2025 को में उ0नि0 श्री अजय कुमार मय हमराह के साथ बैरिया तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबीर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 02 नफर बाल अपचारीगण को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। उक्त बरामदगी के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभिरक्षा में लिए गये बाल अपचारीगण के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पुलिस अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारी-

02 नफर बाल अपचारी

<u>सम्बंधित अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0 388/25 धारा 303(2)/317(2) B.N.S थाना बैरिया जनपद बलिया।

<u>बरामदगी-</u>

01 अदद स्पलेंडर प्लस मोटरसाइकिल रजि0 नं0 BR 04 AG 0682

<u>03.थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस/साइबर पुलिस टीम रेवती द्वारा साइबर ठगी का शिकार हुए पीड़ित के खाते में वापस कराये गये कुल 8,800/- रूपये।</u>

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बैरिया महोदय श्री मो0 फहीम कुरैशी के कुशल नेतृत्व में थाना रेवती पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि थाना रेवती पर पीड़ित द्वारा 8,800/- रुपये की ऑनलाइन ठगी की सूचना दी गयी जिसके आधार पर थाना रेवती की साइबर पुलिस टीम के प्रभारी उ0नि0 श्री आशुतोष मद्धेशिया क0आ0 योगेन्द्र कुमार का0 शिव शर्मा के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के बैंक से 8800/- रूपये की ठगी की गयी सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में वापस करायी गयी।

<u>4.**थाना हल्दी जनपद बलिया पुलिसमिशन शक्ति/ टीम द्वारा अपहरण व पाक्सो एक्ट से सम्बंधित नफर 01 *फ्तार।वांछित अभियुक्त को किया गया गिर**</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षक व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 फहीम कुरैशी व थानाध्यक्ष श्री रोहन राकेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक18.10.2025 को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत थाना हल्दी पुलिस टीम उ0नि0 श्री कृपाशंकर सिंह मय हमराह के थाना हाजा से रवाना होकर मु0अ0सं0 120/2025 धारा87, 61(1) बी0एन0एस0 व 5N/5J(II)/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित*नफर वांछित 01 **अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र गोकुल राम निवासी श्रीनगर थाना रेवती जनपद बलिया*** पचरुखिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

सम्बन्धित अभियोग*-

मु0अ0सं0- 120/25 धारा -137(2), 87, 61(1) बी0एन0एस0 व 5N/5J(II)/6 पाक्सो एक्ट थाना हल्दी जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता*

1. सूरज कुमार पुत्र गोकुल राम सा0 श्रीनगर थाना रेवती जनपद बलिया

05. थाना बांसडीह जनपद बलिया पुलिस मिशन शक्ति/पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वालेनफर वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियोंवांछित / वारण्ट/अभियुक्तोंियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धर पकड़ के सघन अभियान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक श्री (उत्तरी)दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री जयशंकर मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना बांसडीह पुलिस टीममिशन शक्ति टीम/ को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.08.-को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला 2025 फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बंध में प्रार्थना दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय द्वारामु 0सं0अ0 187/87धारा 2025, 137(2), 351(3), बीएनएस 352 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम मेंआज दिनांक18 .10.2025 को थाना बांसडीह के उअनूप कुमार 0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर ***अभियुक्त शैलेन्द्र यादव पुत्र छब्बू यादव निवासी ग्राम धनपलिया बांसडीह जनपद बलिया*** उम्र करीब वर्ष 20 को फायर स्टेशन बांसडीह के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तउपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया है।

सम्बंधित* अभियोग*-

मु187 0सं0अ0/87धारा 2025, 137(2), 351(3), बीएनएस 352**थाना बांसडीह जनपद बलिया**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शैलेन्द्र यादव पुत्र छब्बू यादव निवासी ग्राम धनपलिया बांसडीह जनपद बलिया उम्र करीब वर्ष 20